न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 55 / 2023
जीसीएमएस संख्या : 2023 / 93
निर्णय दिनांक : 09.05.2024 दायर दिनांक 14.06.2023

1. श्रवणराम पुत्र स्व. तिलोकाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
2. महेन्द्र पुत्र स्व. नथूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.

...............वादीगण

बनाम

1. भंवराराम पुत्र स्व. तिलोकाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
2. गोरधनराम पुत्र स्व. नथूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
3. राजूराम पुत्र स्व. नथूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
4. लीलाधर पुत्र स्व. नथूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

.................प्रतिवादीगण

6. पूर्णमल पुत्र धापी पुत्री स्व. तिलोकाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
7. श्रीमती गायत्री पुत्री स्व. नथूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.

.................गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत कृषि भूमि विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री अमरसिंह एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. प्रतिवादी संख्या 05 पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

निर्णय

प्रकरण में संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 558 रकबा 3.4773 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू जो वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 श्रवणराम का 661 / 1176 हिस्सा, वादी संख्या 2 महेन्द्र का 733 / 3528 हिस्सा व गौण

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रतिवादी संख्या 6 का 1/42 हिस्सा तथा गौण प्रतिवादी संख्या 6 पूर्णमल का 1/42 व गौण प्रतिवादी संख्या 7 का 1/63 हिस्सा है। जिसका वादीगण विभाजन करवाना चाहते हैं।

वाद वादीगण न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादीगण तथा गौण प्रतिवादीगण के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस एकपक्षीय विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण तथा गौणप्रतिवादीगण वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 558 रकबा 3.4773 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम भोजलाई में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भी वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री तथा चिरनिषेधाज्ञा की हद तक खारीज किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 558 रकबा 3.4773 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का वादीगण तथा गौण प्रतिवादीगण का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
व इजलास ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

श्रवणराम आदि बनाम भंवराराम आदि
दावा बाबत खातेदारी भूमि विभाजन
मुकदमा न0 55 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री अमरसिंह एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है
दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 558 रकबा 3.4773 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का वादीगण तथा गौण प्रतिवादीगण का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 05. 2024

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक मीजान			मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़